भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 663

20.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

शांति वार्ताओं पर संयुक्त राष्ट्र

663. श्री राहुल रमेश शेवाले:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र (यू एन) ने हाल में भारत और पाकिस्तान को वार्ता के द्वारा शांतिपूर्वक अपने मतभेद सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर युद्धविराम का उल्लंघन और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के मामले को उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अन्य देशों की सरकारों की पाकिस्तान के विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा दो देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता फिर से आरंभ करने तथा मतभेद सुलझाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रवक्ता ने 08 अगस्त, 2019 को दिए गए वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 शिमला समझौते का उल्लेख किया जिसमें दोनों देशों के बीच मतभेदों का द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने का प्रावधान है। बाद में 11 सितंबर, 2019 को प्रवक्ता ने दोनों पक्षों से वार्ता द्वारा मामला सुलझाने की अपील की।

(ख) सरकार पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद और आतंकवादी घुसपैठ को लगातार दिए जा रहे समर्थन का मुद्दा निरंतर उठाती रहती है। सरकार के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामजद आतंकवादी गुट तथा आतंकवादियों जैसे जमात उल दावा (जेयूडी), लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिद्दीन की सतत आतंकवादी गतिविधियों सहित पाकिस्तान से पनपने वाले आतंकवाद के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंताएं बढ़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पुलवामा में फरवरी 2019 में हुए सीमा-पार से आतंकवादी हमले की घोर निंदा की। प्रमुख साझेदार देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह किसी भी तरीके से अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न करने दे।

कई आतंकवादी गुटों तथा आतंकवादियों जिन्होंने पाकिस्तान में पनाह ले रखी है और भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में भी संलिप्त है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ तथा अन्य देशों द्वारा निषिद्ध कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र 1267 प्रतिबंध समिति ने 01 मई, 2019 को जैश-ए-मोहम्मद के स्वयंभू सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निषिद्ध आतंकवादी के रूप में नामजद किया। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने अक्तूबर, 2019 में अपने पूर्ण सत्र में संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकवादी गुटों जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जमात उद दावा तथा फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन सहित आतंकवाद के लिए लगातार धन मुहैया कराने से संबंधित अपनी चिंताओं के कारण पाकिस्तान को 'ग्रे सूची' में डाले रखने का निर्णय लिया है। इससे भारत द्वारा लगातार अपनाए गए इस रूख को समर्थन मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय रूप से नामजद आतंकवादी गुट एवं आतंकवादी लगातार खुलेआम पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं और वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, और भारत में और दक्षिण एशिया में अन्य स्थानों पर सीमा पार आतंकवाद की गतिविधियों के लिए पाकिस्तान के नियंत्रण वाले भू-भाग का उपयोग कर रहे हैं।

भारत की ओर से हर तरह के तथा सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा करने; आतंकवाद को बर्दाश्त न करने; किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए किसी औचित्य को स्वीकार न करने; धर्म से आतंक को न जोड़ने; मानवता में विश्वास रखने वाली सभी शक्तियों को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एकजुट होने के आह्वान को बड़े पैमाने पर अतंरराष्ट्रीय समुदाय ने स्वीकारा है तथा विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन बैठकों और शंघाई सहयोग संगठन, जी-20, ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों की बैठकों के पश्चात् जारी निष्कर्ष दस्तावेजों में इसका उल्लेख किया गया है।

(ग) भारत और पाकिस्तान की नियमित रूप से वार्ताएं होती हैं। यह लगातार अवगत कराया गया है कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी देश वाले संबंध चाहता है और वह किन्हीं भी मामलों, यदि कोई हों, को द्विपक्षीय एवं शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है। तथापि, कोई भी सार्थक बातचीत आतंक, वैमनस्य तथा हिंसामुक्त माहौल में ही हो सकती है। इस प्रकार का एक सौहार्द्रपूर्ण माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है।

***